राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4830/2024

भजन लाल पुत्र श्री सोहन लाल सुथार, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 08, सालीवाला, तहसील टिबी, जिला. हनुमानगढ़

----अपीलार्थी

बनाम

संदीप कुमार गोदारा पुत्र ओमप्रकाश गोदारा, निवासी वार्ड नं. 18, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला. हनुमानगढ़

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री अचला राम

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

20/08/2024

1. याचिकाकर्ता यहां आपराधिक नियमित मामले संख्या 78/2021 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ द्वारा पारित दिनांक 29.06.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता से दोबारा जिरह करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपये की राशि का चेक दिया था, लेकिन वह अनादरित हो गया। यह कहा गया है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता से जिरह पूरी नहीं कर सका और इसे बंद कर दिया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को जिरह के लिए फिर से बुलाने के लिए सीआरपीसी

की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया। दिनांक 29.06.2024 के आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और आदेश के साथ केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विद्वान न्यायालय ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने में गलती की है क्योंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विद्वान न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया और न ही याचिकाकर्ता या उसके वकील को सुनवाई का कोई उचित अवसर दिया गया।

5. आक्षेपित आदेश इस तर्क पर आधारित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शैलेंद्र बनाम राज्य: एआईआर 2006 एससी 655 में माना है कि कोई चूक या सद्भावनापूर्ण गलती कमी की श्रेणी का गठन नहीं करती है और सही निर्णय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया के किसी भी चरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य को वापस बुलाया जा सकता है। इस सिद्धांत को मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि आरोपी के खिलाफ मामले का संज्ञान 13.12.2017 को लिया गया था। 14.02.2020 को, आरोपी को आरोपों की जानकारी दी गई और उसे जमानत दे दी गई। मामला शिकायतकर्ता की जिरह के साथ आगे बढ़ा, जो 22.02.2020 को पूरा हुआ। इसके बाद, धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया और आरोपी को बचाव में सबूत पेश करने का मौका दिया गया। हालाँकि, चूँकि आरोपी ने कोई सबूत पेश नहीं किया, इसलिए मामले को अंतिम बहस के लिए निर्धारित किया गया। इससे पता चलता है कि आरोपी को अपना मामला पेश करने के कई अवसर मिले, जिनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया। इसलिए, इस स्तर पर, धारा 311 सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता का अनुरोध उचित नहीं माना जाता है। नतीजतन, धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

5. विचार करने के पश्चात, मैं विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में व्यक्त तर्क से सहमत हूँ। गहन समीक्षा के पश्चात, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिला, क्योंकि तर्कों के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा कानूनी सिद्धांतों या तथ्यात्मक निष्कर्षों में कोई अनियमितता नहीं बताई गई। विद्वान वकील ने कानूनी मानदंडों या तथ्यात्मक पहलुओं से कोई विचलन प्रदर्शित नहीं किया है, जिसके कारण विचाराधीन आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो।

विद्वान न्यायालय द्वारा निकाले गए तर्क और निष्कर्ष ठोस प्रतीत होते हैं और साक्ष्य और लागू कानून द्वारा अच्छी तरह से समर्थित हैं।

6. आधार में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

7. खारिज।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।